discussed by the Management with the two labour unions of the employees in the Dockyard there is no information with us to suspect that the grievances are not being looked into.

पुलिस हिरासत में बन्दियों की मृत्यु के बारे में जांच के लिए आयोग

*153. **श्री मृत्युन्जय प्रसाद वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत तीन वर्षों में पुलिस की हिरासत में अथवा जेल में बन्दियों की मृत्यु की जांच करने के लिए सरकार का विचार पृथक्-पृथक आयोग अथवा एक आयोग नियुक्त करने का है जिससे यह निश्चित किया जा सके कि क्या उन सभी व्यक्तियों की रोग से प्राकृतिक मृत्यु हुई अथवा कुछ बन्दियों की हत्या कर दी गई और क्या केवल भागने वाले कैदी ही सुरक्षा गार्डों की गोलियों से मारे गए ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहां कहीं बन्दियों की मृत्यु के बारे में किसी बुरे इरादे का संदेह किया जाता है वहां जांच बैठाने का काम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का है। न्यायमूर्ति जे०सी० शाह की अध्यक्षता में नियुक्त जांच आयोग के विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आपात स्थिति के दौरान और उसके तुरन्त पहले की अवधि में हुई बन्दियों की मृत्यु के मामले आते हैं और जिन लोगों को शिकायतें हैं वे इस बारे में आयोग को अभ्यावेदन दे सकते हैं।

श्री मृत्युन्जय प्रसाद वर्मा : प्रश्न के उत्तर में जैसा कहा गया है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का विवरण देने वाले तो अब रहे नहीं, वे तो मर गये है। जो बचे भी हैं उनके पास सबूत नहीं हैं। जो लोग जेलों में मर जाते हैं उनके बारे में कह दिया जाता है कि वे बीमारी से मर गये थे या भागते हुए मारे गये जब कि उनको बैठे बिठाये मार दिया जाता है। इस प्रकार से मरने वाले व्यक्तियों के गवाह मौजूद हैं और इस सदन में भी मौजूद हैं। वे जानते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार की हालत में मरे हैं, बीमारी से मरे हैं या मार दिये गये हैं। पहले किसी को भी पता नहीं था कि केरल में राजन की हत्या कर दी गयी है, दिल्ली में सुन्दर डाकू की हत्या कर दी गयी है। हम तो यह जानते थे कि सुन्दर डाकू डूब गया था। लेकिन अब सन्देह होता है कि वह मार दिया गया। इसी तरह के बहुत से मामले सरकार के सामने आयेंगे अगर आपकी ओर से कोई जांच करायी जाये और साथही साथ इस प्रकार के मामलों की जांच कराने के लिए प्रदेश सरकारों को आदेश दिये जाएं या सुझाव दिये जाएं। क्या सरकार ऐसी जांच करायेगी ?

श्री चरण सिंह : इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सुझाव भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनके यहां अन्याय हुआ है तो उनको पूरा अधिकार है कि वे इस सम्बन्ध में जांच करायें या जो ठीक समझें कदम उठायें। वहां पर भी जनता के चुने हुए नमाइन्दे हैं, उन्हीं से चुनी हुई सरकार है। अगर इस प्रकार के कोई मामले हैं तो वहां उठाये जा सकते हैं और वहीं उठाये जाने चाहिएं।

दूसरी बात मैं अर्ज कर चुका हूं कि एमर्जेंसी के दौरान जो अन्याय हुए हैं उन्हें शाह कमीशन के पास भेजा जा सकता है। अगर किसी मामले में कोई शहादत मौजूद नहीं है तो कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, न यह गवर्नमेंट कुछ कर सकती है और न वह गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। अगर आपके पास कोई शिकायत हो तो कमीशन के पास भेज दीजिए। अगर किसी मामले में

शहादत मौजूद नहीं है तो केसिज भेजे जा सकते हैं। हमने योग्य से योग्य पुलिस अधिकारियों को इस काम के लिए मुकर्रर किया है। गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो शाह आयोग को उपलब्ध न हो। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रकार की शिकायतों की जांच शाह आयोग करे या गवर्नमेंट की अन्य कोई ऐजेंसी करे।

श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा : इसी प्रकार बीमारी के नाम पर बहुत से आदमी मर गये हैं लेकिन उनके बारे में शंकाएं होती हैं कि वे मरे नहीं बल्कि मारे गये हैं। जय प्रकाश जी भी बीमार है। उनके बारे में भी कहा गया था कि उनके गुर्दे खराब हो गये हैं लेकिन खराब नहीं हुए बल्कि खराब किए गए अब ऐसी शंका होने लगी है। अतः मैं चाहता हूं कि जिन कैदियों को जेलों में खाने-पीने और रहन-सहन की ठीक सुविधाएं नहीं दी गयीं और वे इस कारण से बीमार होकर मर गये, उनके बारे में सरकार को जांच करानी चाहिए। क्या सरकार इस बारे में जांच कराना चाहती है ? ताकि आगे सुधार हो सके और इस तरह के वाकयात कम से कम हों।

MR. SPEAKER: It is more a request and not a question.

श्री लक्ष्मण राव मानकर : महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डा० गोवडे जो नागपुर मेडिकल कालेज में मर गये थे उनके सम्बन्ध में जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया है। नागपुर में जो लोग इस कमिशन के सामने एवीडेंस देने के लिए गए उनको ठीक से एवीडेंस देने नहीं दिया गया। उनको इसका मौका नहीं दिया गया। इस बारे में जो एवीडेंस देने वाले लोग थे उन्होंने उस कमिशन का बहिष्कार किया। क्या यह बात सत्य है। अगर सत्य है और ऐसी बात होती हो तो इसके बारे में आप क्या करेंगे ? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वह इन चीजों को छिपाना चाहेगी। इसलिये जनता सरकार क्या करने वाली है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री चरण सिंह : महाराष्ट्र में अगर कांग्रेसी सरकार है और अगर वह कमिशन नहीं बिठाएगी तो शाह कमिशन के सामने मामलों को रखा जा सकता है।

श्री लक्ष्मण राव मानकर : वहां कमिशन नियुक्त हुआ है। वहां लोगों को उसके सामने ठीक से एवीडेंस देने का मौका नहीं दिया गया है। इसके बारे में आप क्या करेंगे ?

MR. SPEAKER: After all, the Minister has already answered that it will go before the Commission. Please sit down. I have called Shri Tyagi.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : एमरजेंसी के दौरान जो ज्यादतियां हुई हैं उन की इनक्वायरी के लिए आपने कमिशन बिठाया है। जब से आपने कमिशन बिठाया है तब से विभिन्न राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में गवर्नमेंट आफिसर्स ने उन रिकार्डज को खत्म करना शुरू कर दिया है जिसके आधार पर उन ज्यादतियों को साबित किया जा सकता है। इसको रोकथाम के लिये आपने क्या उपाय किया है ?

श्री चरण सिंह : इसके लिए विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है। जिन अधिकारियों के पास रिकार्ड है उनका फर्ज है कि वे उसको सुरक्षित रखें। अगर कहीं इसको डेसट्राय किया गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि सच्चाई कभी छिपती नहीं है, कत्ल वगैरह कभी नहीं छिपता। अगर ऐसा कोई मामला हुआ है और पुलिस उसमें तहकीकात करेगी तो यह सच्चाई सामने आ जाएगी बावजूद इसके कि रिकार्ड नष्ट किये गये हैं। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। अखबारों में खबर निकल

चुकी है । चार एफ० आई० आर० यहां दिल्ली में दर्ज हो चुकी हैं । कम से कम एक केस का तो मुझे मालूम है कि रिकार्ड डेसट्राय करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी पुलिस ने मालूम कर लिया । दूसरा एक और केस है । उसमें भी कुछ अफसरों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी । मुमकिन है कुछ और केसिस में रिकार्ड डेसट्राय करने की कोशिश की गई हो लेकिन सच्चाई सी० बी० आई० के इनवेस्टीगेटर ने फिर भी मालूम कर ली। अब गवर्नमेंट के पास सिवाय इसके कि अफसरों से उम्मीद की जाये कि वे सच्चाई से, ईमानदारी से काम करें, रिकार्डज को सुरक्षित रखें मेरी समझ में नहीं आता हमारे पास और उपाय क्या बाकी रह जाता है सिवाय इसके कि एक और आदेश इसके बारे में निकालें । लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं । उनका आलरेडी फर्ज है रिकार्ड सुरक्षित रखने का ।

श्री लक्ष्मण राव मानकर : डा० गोबडे की मृत्यु हुई नागपुर मैडीकल कालेज में । उनको हार्ट अटैक हुआ था । उनको वहां सर्जिकल वार्ड में रखा गया पुलिस के आर्डर से जब कि उनको इंटैंसिव केअर यूनिट में रखना चाहिए था । जो लोग एवीडेंस देने के लिए गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त कमीशन के सामने उनको देने नहीं दिया गया और उन्होंने कमीशन का बहिष्कार किया ? इस तरह की जो चीजें हैं इस सम्बन्ध में आप क्या करने वाले हैं ?

MR. SPEAKER: The hon. Member may please sit down. He has already answered.

SHORT NOTICE QUESTION

Film "KISSA KURSI KA"

3. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the film "Kissa Kursi Ka" was stolen from Government office;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon; and

(c) whether the film was burnt?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c). The film "Kissa Kursi Ka" was forfeited to the Central Government by an order issued under rule 51(1) of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971 on 14-7-1975. Negatives and prints of this film were taken into custody and kept with the Films Division of the Ministry of I&B. Recently on request from the Film producer for the return of the prints, a preliminary enquiry was made in the Ministry of Information and Broadcasting which disclosed that the prints as well as the negatives were not traceable and foul play was suspected in their disappearance. On the request of the Ministry, the CBI registered a case on 13-4-77 under sections 120-B r/w 380 IPC and took up investigation. In the course of their investigation, empty cans along with labels indicating storage of rolls of this film in the cans were recovered following a search of the premises of Maruti factory at Gurgaon on 25-5-77. The available evidence points to the film having been destroyed by being burnt. Investigation is in the final stage.

श्री कंवरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत ही महत्व का है और यह सम्बन्ध रखता है जो पावर हन्गरी और करप्ट पोलीटीशियन्स हैं जो जनता को दबा कर और किसी तरह भी कुर्सी पर बैठना चाहते थे, उस के बारे में यह फिल्म थी और यह पहली फिल्म है जो डी० आई० आर० में बन्द कर दी गई, लेकिन उस के बाद भी कुर्सी बची नहीं । तो मैं मंत्री